

203/18

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

16 OCT 2018

रु. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 182383



गुलाब बाग ट्रस्ट
ट्रस्ट विलेख

यह ट्रस्ट विलेख आज दिनांक 14-11-2018 ई0 को जनपद वाराणसी में श्री गुलाब सिंह यादव पुत्र श्री रंगजी यादव निवासी मकान नम्बर सा. 15/183-एन-10-एम, मवइया, वार्ड सारनाथ, जिला- वाराणसी द्वारा किया गया जिन्हें आगे ट्रस्टकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा और क्योंकि ट्रस्टकर्ता/संस्थापक पर रुपये 20,500/- (बीस हजार पाँच सौ रुपये मात्र) की धनराशि है, जिसे कि वह पुरुषार्थ एवं सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। ट्रस्टकर्ता/संस्थापक उक्त राशि में अप्रति बनने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा। यह ट्रस्ट "गुलाब बाग ट्रस्ट" के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा।

ट्रस्टकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न श्रोतों से जिसमें दान, उपकार, ऋण आदि भी सम्मिलित है के द्वारा ट्रस्ट के कोष में सम्पदा एवं साधनों को और बढ़ाये ताकि अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके।

गुलाब सिंह यादव -



भारतीय-गेर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

6 NOV 2018

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EN 110364

(2)

और क्योंकि ट्रस्टकर्ता/संस्थापक ने अपनी के अनुकूल रुपये 20,500/- (बीस हजार पाँच सौ रुपये मात्र) की नगद धनराशि ट्रस्ट को प्रदान की है।

और क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट को पंजीकृत/प्रशासनिक कार्यालय ग्राम-लेदूपुर, परगना- शिवपुर, तहसील व जिला- वाराणसी, उ० प्र० रहेगा। आधेक सुविधाजनक स्थान मिलने व मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की सहमति से इस कार्यालय को समयानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

और क्योंकि ट्रस्टकर्ता/मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध एवं घोषित किया जाता है।

गुलाब बाग ट्रस्ट

उद्देश्य एवं नियमावली

ट्रस्ट के उद्देश्य

ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा-

1. पाठशालाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रित केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्रों तथा सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रों की स्थापना, नामकरण, विकास, सम्बद्ध, आबद्ध, प्रबन्ध संचालन आदि कर सकना तथा आवश्यक होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं स्तरों शासन आदि से उन्हें मान्य, सम्बद्ध, आबद्ध, पंजीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत करा सकना।

उत्तर प्रदेश का २०१८



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



ONE
HUNDRED RUPEES

6 NOV 2018

100100
100100100100
100100100100
100100100100
100100100100
100100100100
100100100100
100100100100

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

EN 110363

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(3)

2. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों यथा व्यवहारिक प्रायोगिक कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीडा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों पर विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध कराना।
3. नागरिकों विशेष कर बालकों, बालिकाओं, युवक, युवतियों की शिक्षा, स्वास्थ्य सामाजिक एवं सर्वांगीण विकास तथा स्वावलम्बी बनाने हेतु खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनाओं को संचालित करना।
4. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र-छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन/आवास/सुविधाओं आदि की व्यवस्था कर सकना।
5. विभिन्न कक्षाओं, वर्गों के लिए पाठ्यक्रम मानक निर्धारित करना, परीक्षाएँ लेना।
6. पुस्तकों, साहित्य, पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन, संपादन, प्रकाशन, मुद्रण वितरण आदि कर सकना।
7. शिक्षा एवं शिक्षा पद्धतियों का विकास कर सकना तथा विभिन्न विषयों पर अनुसंधान कर सकना।
8. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अधिवेशन, गोष्ठियों सम्मेलन, प्रतियोगिताएँ, बैठकें, विशेष कक्षाएँ, छात्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना।
9. समाज कल्याण विभाग, नावार्ड, कर्पाट, परिवार कल्याण विभाग, पर्यावरण, मानव संसाधन मंत्रालय, एड्स पर कार्य कर सकना।

उत्तर प्रदेश सरकार



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE

HUNDRED RUPEES

- 6 NOV 2018

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EN 110362

(4)

10. सिलाई कढ़ाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिन्टिंग आदि की शिक्षा कर सकना।
11. सामाजिक न्याय के विकास हेतु एव राष्ट्रीय अखण्डता को अक्षुण्ण रखने हेतु सी०बी०एस०ई०, आई०सी०एस०ई०, यू०पी० बोर्ड एव अन्य बोर्डों के विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, मेडिकल कालेज, विधि महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, आई०टी०आई०, पुस्तकालय, फार्मसी, फिजियोथेरेपी आदि संस्थानों की स्थापना कर सकना तथा इनकी शाखाओं की स्थापना, चिकित्सा केन्द्र, अस्पताल, प्रस की स्थापना, संचालन, विकास आबद्ध, लैब टेक्नीशियन, सम्बद्ध प्रबन्ध आदि कर सकना।
12. व्यक्ति विशेष अन्य सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, इंजीनियरिंग कालेजों, विश्वविद्यालयों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित कर सकना एव ट्रस्ट में ऐसे संस्थानों को प्राप्त करना, समायोजित कर सकना।
13. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।
14. विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।
15. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार कर सकना।
16. कृषि उपयोग कार्य कर सकना व उसका प्रचार-प्रसार कर सकना।
17. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एव सेमिनार कर सकना।
18. एड्स के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रचार-प्रसार कर सकना।

जि. व. शर्मा



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



ONE
HUNDRED RUPEES

- 6 NOV 2018

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

EN 110361

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(5)

19. पुस्तक, पुस्तिकायें, पत्र-पत्रिकायें, समाचार पत्र आदि को प्रकाशित, मुद्रित, सम्पादित, वितरित, विक्रीत कर सकना।
20. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य/ निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।
21. पत्राचार द्वारा, अध्यापन/अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्संबंधित आवश्यक व्यवस्थायें कर सकना व दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम संचालन कर सकेगा।
22. उपभोक्ता अधिकार पर्यावरण सुधार, ऊसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जनचेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।
23. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोद्धार कर सकना।
24. जनकल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना।
25. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।
26. विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेजों/विधि महाविद्यालयों/इंजीनियरिंग कालेजों/प्रतिष्ठानों, विश्वविद्यालयों के विशेषाधिकार (Franchise) प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार (Franchise) अन्य को प्रदान कर सकना। कोई समिति स्वयं या अपने द्वारा संचालित किसी भी तरह के संस्थान को ट्रस्ट में समाहित करने की इच्छुक हो तो, उस समिति द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत होने पर, ट्रस्टियों एवं ट्रस्ट मण्डल/बोर्ड के अध्यक्ष की अनुमति से ही, संस्था/समिति

उत्तर प्रदेश सरकार



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE

HUNDRED RUPEES

YAFANASI

6 NOV, 2018

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EN 110360

(6)

- को ट्रस्ट में समाहित किया जा सकेगा और वह समिति/संस्था ट्रस्ट की संस्था (सम्पत्ति) मानी जायेगी।
27. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना एसका ट्रस्ट के उद्देश्य में प्रयोग करना।
 28. ट्रस्ट जन सामान्य के हित में कार्य करेगा। ट्रस्ट यथासम्भव अपनी सेवायें/वस्तुएं/लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खण्डन्जा, तालाबों का निर्माण, मछली पालन, पशुपालन आदि का प्रचार कर सकना।
 29. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा, जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों को सदैव अपने समक्ष रखेगा एवं बंजर भूमि, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नेहरू युवा सुधार हेतु रोजगार केन्द्र, प्रौढ शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना।
 30. ट्रस्ट अपनी समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।
 31. ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण सेवाओं का संचालन करना।
 32. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु कार्य करना। गरीब असहाय एवं जरूरतमन्दों को निःशुल्क शिक्षा देना, पिछड़े वर्गों, अनु० जातियों, अनु० जनजातियों को अच्छी शिक्षाओं तथा भारत के किसी भी हिस्से में (संघशासित राज्यों में भी) शैक्षिक संस्थाओं, कृषि, विज्ञान, कम्प्यूनिटी, विकास केन्द्रों, अनुसंधान संस्थायें, महिला कल्याण योजनायें, राष्ट्रीय अखण्डता कार्यक्रम, स्वास्थ्य केन्द्र या कोई भी कार्य

उत्तर प्रदेश सरकार



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 316675

(7)

- किसी स्थान पर बनाने, प्राप्त करने, शुरू करने और बरकरार रखने के लिए कार्य करना।
33. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना।
 34. कृषकों/ग्रामीणों को फूल एवं औषधीय खेतों के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल को आयात व निर्यात करना।
 35. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु पॉलिक्लीनिक का निर्माण करना।
 36. बालक, बालिकाओं के लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिन्टिंग, प्रिन्टिंग व ब्यूटिशियन आदि की शिक्षा कर सकना।
 37. अहिंसा, जीवदया, शाकाहार आदि का प्रचार करना।
 38. पशुओं और पक्षियों की सेवा तथा देखभाल हेतु पशु-आश्रय, गौशालाओं, पांजरापोल, जीवदया संस्थाओं की स्थापना, समर्थन, संचालन, अनुरक्षण तथा सहयोग प्रदान करना।
 39. शारीरिक रूप से विकलांग, अंधे, गूंगे, बहरे, असहाय एवं अक्षम या मानिसक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए संस्थाओं का विकास एवं स्थापन, संचालन, अनुरक्षण करना एवं उनको शिक्षा, भोजन, आवास, कपड़े या अन्य प्रकार से सहायता उपलब्ध करवाना एवं उनके पुनर्वास के लिए सम्पूर्ण व्यवस्था करना।
 40. प्राकृतिक आपदाओं जैसे अकाल, (दुर्भिक्ष), तूफान, (चक्रवात), भूकम्प, बाढ़, आगजनी, महामारी आदि के समय पीड़ित जरूरतमन्द लोगों को सहायता एवं राहत प्रदान करना तथा ऐसे राहत कार्यों में लगी सथाओं को दान एवं अन्य सहायता प्रदान करना।

उत्तर प्रदेश सरकार



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 316674

(8)

41. मरघट, समाधी स्थल तथा श्मशान का निर्माण, मरम्मत, जीर्णोद्धार तथा प्रबन्ध करना।
 42. ब्रिक्स (ईटा) एवं टाइल्स का निर्माण कर सकना।
 43. शीतगृह एवं आईस प्लान्ट आदि का निर्माण करना।
 44. आरा मशीन के माध्यम से प्लाईवुड की मैन्युफैक्चरिंग कर उसका निर्माण करना।
 45. वाटर पार्क आदि की सुविधा को मुहैया कर सकना।
2. प्रारम्भिक उपबन्ध-
1. वर्तमान ट्रस्ट डीड के पंजीकृत की दिनांक से श्री गुलाब सिंह यादव को ट्रस्टकर्ता एवं इस ट्रस्ट विलेख के रचयिता (Author of Deed) भी है, को इस ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी सुनिश्चित किया जाता है तथा श्रीमती मंजू सिंह यादव पत्नी श्री गुलाब सिंह यादव व श्री अंकुर सिंह यादव व श्री अंकित सिंह यादव व श्री पशुपति नाथ यादव पुत्रगण श्री गुलाब सिंह यादव को ट्रस्टी सुनिश्चित किया जाता है।
 2. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी अपनी जीवनकाल में जब चाहे अपना उत्तरदायित्व ट्रस्टियों में से किसी एक ट्रस्टी को बहुमत के आधार पर स्थानान्तरित कर सकते हैं।
 3. किसी भी नये ट्रस्टियों के चयन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी को 50,000/- (पचास हजार रुपये) का बैंक ड्राफ्ट (ट्रस्ट के नाम) बनवाकर आदेदन करना होगा, जिसे ट्रस्टियों के समक्ष रखा जायेगा। ट्रस्टियों द्वारा 3/4 बहुमत से स्वीकृत

गुलाब सिंह यादव



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 316673

(9)

होने पर ही उसे ट्रस्टी बनाया जा सकेगा। किन्हीं कारणों से ट्रस्टी न बनाये जाने की स्थिति में आवेदक की धनराशि वापस कर दी जायेगी।

4. किसी ट्रस्टी को ट्रस्ट से पद मुक्ति करने की शर्तें निम्न हैं— मृत्यु, ट्रस्ट विरुद्ध कार्यों में संलिप्तता पाये जाने, किसी न्यायालय द्वारा 2 वर्षों या इससे अधिक सजा दिये जाने पर, दिवालिया होने पर, पागल होने पर, व्यभिचारी होने पर, त्याग पत्र देने पर, पद मुक्ति/निष्कासित किया जा सकता है।
3. मैनेजिंग ट्रस्टी पद का हस्तान्तरण—
1. मैनेजिंग ट्रस्टी का कर्तव्य है कि अपने जीवनकाल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी की व्यवस्था कर दे।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी में ही मैनेजिंग ट्रस्टी का पद ट्रस्टियों में किसी को प्रदान कर सकता है।
3. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जो कि इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी का प्रदत्त किये गये हैं।
4. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कर सुनिश्चित न कर दी जाय तो श्री गुलाब सिंह यादव के मृत्यु के पश्चात् श्रीमती मंजू सिंह यादव पत्नी श्री गुलाब सिंह यादव व श्री अंकुर सिंह यादव व श्री अंकित सिंह यादव व श्री पशुपति नाथ यादव पुत्रगण श्री गुलाब सिंह यादव इस ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी होंगे। नव नियुक्ति मैनेजिंग

उत्तर प्रदेश सरकार



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 316672

(10)

- ट्रस्टी को 6 माह के अन्दर 3/4 ट्रस्टियों का बहुमत प्राप्त करना होगा। अन्यथा कि स्थिति में किसी भी ट्रस्टी को 3/4 बहुमत के आधार पर ही मैनेजिंग ट्रस्टी बनाया जायेगा। बहुमत के आधार पर नये मैनेजिंग ट्रस्टी के चयन होने तक श्रीमती मंजू सिंह यादव पत्नी श्री गुलाब सिंह यादव व श्री अंकुर सिंह यादव व श्री अंकित सिंह यादव व श्री पशुपति नाथ यादव पुत्रगण श्री गुलाब सिंह यादव मैनेजिंग ट्रस्टी बने रहेंगे।
5. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को चाहिए कि वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी को लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अपने जीवनकाल के उत्तरार्ध में की गई वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।
 6. यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी अपने जीवनकाल में अपना कार्यभार अपने ट्रस्टियों में से किसी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार कर सकेगा।
 7. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी तभी अपने ट्रस्टियों में से किसी का हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतन्त्र है, जब तक कि वास्तविक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दे।

ज्वाब ७२२१७



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 316671

(11)

8. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अपने ट्रस्टियों में से किसी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण हस्तान्तरण माना जायेगा।
4. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज-
1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी यदि उचित समझे तो विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है, जिसमें कि अधिकतम पन्द्रह सदस्य होंगे।
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व भी ट्रस्टियों की राय/बहुमत से बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के पद से हटा सकता है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक/प्रसाद पर्यन्त ही कार्य करेंगे।
3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी जब भी उचित समझे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है, जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी स्वयं करेगा।
4. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को मानना, स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी की इच्छा पर

उत्तर प्रदेश सरकार



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 316670

(12)

निर्भर करता है। इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

5. मैनेजिंग ट्रस्टी का विशेषाधिकार-

मैनेजिंग ट्रस्टी को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/सशोधित कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा। मैनेजिंग ट्रस्टी अपने विशेषाधिकार के तहत 5 ट्रस्टियों का चयन अपने सम्पूर्ण जीवनकाल में बिना आवेदन शुल्क या प्रस्ताव पर उनकी सहमति के आधार पर कर सकता है।

6. मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधायें-

ट्रस्ट का कार्यालय ही मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय होगा।

7. कार्यक्षेत्र-

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण विश्व होगा वह सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है।

8. सचिव/उपसचिवता की नियुक्ति-

उत्तर प्रदेश सरकार



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 316+67

(13)

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट के दिन-प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि सचिव/उपसचिव के वेतन, भत्ते, सुविधायें, कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा निश्चित किये जायेंगे।
3. यह कि उक्त सचिव/उपसचिव, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्टियों के बहुमत से उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के किसी प्रकार की अनुशासनहीनता/कार्यशैथिलता ट्रस्ट के विरुद्ध कार्य करने की स्थिति में उनके विरुद्ध प्रशासनिक/विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है तथा उक्त पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।
9. उपाध्यक्ष की नियुक्ति-
1. मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन, भत्ते, सुविधायें, कार्य, नियम मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

ज्वाब के साथ



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 315663

(14)

3. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी समय उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के किसी प्रकार की अनुशासनहीनता/कार्यशिथिलता ट्रस्ट के विरुद्ध कार्य करने की स्थिति में उनके विरुद्ध प्रशासनिक/विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। अथवा उक्त कार्यरत व्यक्तियों को उनके पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नियुक्तियां कर सकता है अथवा उक्त पदों के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित व प्रदान कर सकता है।

10. मैनेजिंग ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य-

यह कि इस डीड के अन्तर्गत मैनेजिंग ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त मैनेजिंग ट्रस्टी के निम्न अधिकार व कर्तव्य भी होंगे-

- (क) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।
- (ख) ट्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरदायी ढंग से देख-रेख करने के लिए ट्रस्ट के उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिवों की नियुक्ति करना।
- (ग) इस डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत होने के दिनक से भान्य होगा।

11. उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य-

उपाध्यक्ष का पद



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 316667

(15)

मैनेजिंग ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार/विमर्श हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना। परन्तु उपाध्यक्ष बिना मैनेजिंग ट्रस्टी की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता।

12. सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य-

ट्रस्ट के समस्त कार्यों के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यवाही एवं उत्तरदायी है। ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार हैं-

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापों एवं दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियन्त्रण रखना।
3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालिक कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति, पदमुक्त तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही कर सकना।
4. विभिन्न कार्यकलापों उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु कोष्ठों/विभागों/केंद्रों/संस्थाओं/उपसंस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजकों/निदेशकों पदाधिकारियों आदि की संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बना सकना।
5. ट्रस्ट संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जाँच हेतु निर्णायक नियुक्त कर सकना।


उत्तर प्रदेश



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 316666

(16)

6. एक से अधिक विशेष अधिकारी नियुक्ति होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन कर सकना।
7. प्रचार/प्रसाद/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।
8. जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन कर सकना। सचिव द्वारा किसी प्रकार का लिया गया निर्णय मैनेजिंग ट्रस्टी की स्वीकृति के बाद ही मान्य होगा।
13. उपसचिव के अधिकार एवं कर्तव्य-
1. सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।
2. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त है।
3. सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।
14. बैंक एकाउन्ट-
1. ट्रस्ट का खाता किसी बैंक में खोला जा सकेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति, मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है। सामान्यतया खाता मैनेजिंग ट्रस्टी व ट्रस्टी का संयुक्त रहेगा। विशेष परिस्थिति में खाते का संचालन तीन लोग भी (ट्रस्टियों में से) संयुक्त रूप

जवाबदायी



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20



Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AA 265605

(17)

- से कर सकते हैं। मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा एकल खाते का संचालन किया जा सकता है।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है।
15. विधिक कार्यवाही-
संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव मैनेजिंग ट्रस्टी की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं या अन्य को अधिकृत कर सकता है।
16. सम्पत्ति सम्बन्धी-
1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते हैं।
2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने/लेख, विलेख बनाने हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।

जिम्मेदार व्यक्ति का हस्ताक्षर



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20



Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AA 265604

(18)

3. ट्रस्ट मैनेजिंग ट्रस्टी, ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख/विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।
4. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति क्रय-विक्रय कर सकता है, रेहन रख सकता है, किराये पर दे सकता है, ले सकता है अथवा दे सकता है।
5. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, आग्रह, भेट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।
6. ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक, संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति को विनियोजित कर सकता है।
7. चल/अचल सम्पत्ति की प्रत्याभूति (Guarantee), भाड़ा क्रय (Hire Purchase), अनुज्ञप्ति (License), बन्धक (Mortgage), भारित (Charge), गिरवी (Pledge), विभाजित (Partition) आदि कर सकता है/ले सकता है/दे सकता है।
17. विशेष—
(क) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय व महाविद्यालय/कार्यक्रम/इकाई/कार्यालय/संस्था/उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम उपनियम बनाये जा सकते हैं। परन्तु यदि वह इस डीड ऑफ ट्रस्ट "गुलाब बाग ट्रस्ट" के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्रावधान का

गुलाब बाग ट्रस्ट



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AA 265603

(19)

अंशक्रमण करत है तो वह नियम/उर्दीनयम, अंशक्रमण की सीमा तक लागू होगी।

(ख) मेनाजग ट्रस्टों याद उचित समझ तो किसी/किसी परिस्थितियों में इस ट्रस्ट बोर्ड के किसी/किसी प्राधिकार/प्राधिकारों को निर्धारण कर सकते है तथा प्राधिकार/प्राधिकारों के हात हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते है। इस सम्बन्ध में मेनाजग ट्रस्टों का दिवक/व्यवस्था ही अंशक्रमण होगी।

कि "गुलाब बाग ट्रस्ट" की उक्त ट्रस्ट दियत (Instrument of Trust) एत उसमें सम्मिलित "गुलाब बाग ट्रस्ट" की उददेश्य एत नियमावली एतद द्वारा अर्थात्निर्णयित, अनुमोदित, धारित, स्वीकृत, आम्बोदित एत तन्कारण से कार्यनिर्दिष्ट की जाती है।

कि उक्त ट्रस्ट दियत (Instrument of Trust) की पदकर एत समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न सर्तियों की उर्गस्थिति में हस्ताक्षर कर दिए गए।

अतः मैं ट्रस्टी श्री गुलाब सिंह यादव इस ट्रस्ट दियत की विषयों व टर्कों करवाकर पढ़े व पढ़ाकर सुन व इनके प्रभावी की पूरी तरह समझकर तथा उसके परिणामों से पूर्णतः अवगत रहते हुए, स्वस्थ एत प्रसन्न आन्तरिक व नार्मल स्थितियों में, बिना किसी दबाव हस्तक्षेप अन्यथा दबाव की उर्गस्थित सर्तियों के समक्ष हस्ताक्षरित कर दे रहे हैं, ताकि प्रमाण रहे व सम्मानानुसार स्वीकार्यता हो सकें।

गुलाब सिंह यादव

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AA 265602

(20)

अभिलेखीय तिथि > 14-11-2018 ई0

साक्षीगण

1. नाम > श्री रामदवर यादव
पिता का नाम > स्व0 मत्तल यादव
पता > ग्राम लेदूपुर, परगना शिवपुर,
तहसील व जिला वाराणसी।
पहचान पत्र > आधार संख्या-
मोबाइल नम्बर > 07981966767
हस्ताक्षर >



2. नाम > धीरेन्द्र कुमार यादव
पिता का नाम > दयाशंकर यादव
पता > ग्राम मवईया, नान्हूपुर,
तहसील व जिला वाराणसी।
पहचान पत्र > आधार संख्या-
मोबाइल नम्बर > 7007130049
हस्ताक्षर >



जिलाकार्यालय



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20



Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AA 265601

(21)

मसविदाकर्ता



Akhil
अखिलेश कुमार पाण्डेय (एडवोकेट)
बी०बी०ए० बिल्डिंग कक्ष संख्या 123,
दीवानी कचहरी, वाराणसी।
मोबाइल नम्बर 09454354443

टाईपकर्ता



Sarunath
सारनाथ इण्टर प्राइजेज
जिला परिषद रोड, कचहरी, वाराणसी।

उल्लावाकर १०२९



